

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222/ 5153223/ 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(12)शिक्षा/ग्रुप-3/2021

जयपुर, दिनांक-

09 JUN 2021

-: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के विन्दु संख्या-48.00.00 एवं 48.01.00 की अनुपालना में निम्नलिखित 23 नवीन राजकीय महाविद्यालय (10 सहशिक्षा एवं 13 महिला शिक्षा) खोले जाने की निम्नांकित शर्तों के अधधीन सैद्धांतिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	सहशिक्षा	क्र.सं.	महिला शिक्षा
1.	पीपाड़-जोधपुर	11	रामगढ़ पंचवारा(लालसोट)-दौसा
2.	फतेहगढ़-जैसलमेर	12	दूनी-टोंक
3.	साहवा-चुरू	13	टोडाभीम-करौली
4.	खण्डेला-सीकर	14	हिण्डोन सिटी-करौली
5.	कुचेरा-नागौर	15	बाडी-धौलपुर
6.	मण्डावर-दौसा	16	मेड़ता सिटी-नागौर
7.	उदयपुरवाटी-झुंझुनू	17	लाडनू-नागौर
8.	कल्याणपुर-बाड़मेर	18	तख्तगढ़-पाली
9.	मनियां(राजाखेड़ा)-धौलपुर	19	दांतारामगढ़-सीकर
10.	चिखली-झूंगरपुर	20	नोहर-हनुमानगढ़
		21	श्रीझूंगरगढ़-बीकानेर
		22	सरदारशहर-चुरू,
		23	सूरसागर-जोधपुर

(1) उक्त 23 नवीन महाविद्यालयों (कला संकाय, 02 वर्ग) में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार बजट मद में निम्नानुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालयों के नाम	बजट मद	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1-पीपाड़-जोधपुर 2-फतेहगढ़-जैसलमेर 3-साहवा-चुरू 4-खण्डेला-सीकर 5-कुचेरा-नागौर 6-मण्डावर-दौसा 7-उदयपुरवाटी-झुंझुनू 8-मनियां(राजाखेड़ा)-धौलपुर	मांग संख्या-24	प्राचार्य	01	08
	बजट मद-2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 02-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) राज्य निधि	सहायक आचार्य	07	56
		पुस्तकालयाध्यक्ष	01	08
		शारीरिक शिक्षक	01	08
		सहायक लेखाधिकारी- I	01	08
		प्रशासनिक अधिकारी	01	08
		आशुलिपिक	01	08
		वरिष्ठ सहायक	01	08
		कनिष्ठ सहायक	02	16
		प्रयोगशाला सहायक	01	08
		प्रयोगशाला वाहक	01	08
		बुक लिफ्टर	01	08
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	16
कुल योग	21	168		
1-कल्याणपुर-बाड़मेर 2-चिखली-झूंगरपुर	मांग संख्या-30	प्राचार्य	01	02
	बजट मद-2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 01-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) राज्य निधि	सहायक आचार्य	07	14
		पुस्तकालयाध्यक्ष	01	02
		शारीरिक शिक्षक	01	02
		सहायक लेखाधिकारी- I	01	02
		प्रशासनिक अधिकारी	01	02
		आशुलिपिक	01	02
		वरिष्ठ सहायक	01	02
		कनिष्ठ सहायक	02	04
		प्रयोगशाला सहायक	01	02
		प्रयोगशाला वाहक	01	02
		बुक लिफ्टर	01	02
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	04
कुल योग	21	42		

1-रामगढ़ पंचवारा (लालसोट)-दौसा	मांग संख्या-24	प्राचार्य	01	13
2-दूनी-टोंक	बजट मद-2202-	सहायक आचार्य	07	91
3-टोडाभीम, करौली	सामान्य शिक्षा	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	13
4-हिण्डोन सिटी-करौली	03-विश्वविद्यालय	शारीरिक शिक्षक	01	13
5-बाडी-धौलपुर	तथा उच्चतर	सहायक लेखाधिकारी- I	01	13
6-मेडता सिटी, नागौर	शिक्षा	प्रशासनिक अधिकारी	01	13
7-लाडनू-नागौर	103-राजकीय	आशुलिपिक	01	13
8-तख्तगढ़-पाली	महाविद्यालय तथा	वरिष्ठ सहायक	01	13
9-दांतारामगढ़-सीकर	संस्थान	कनिष्ठ सहायक	02	26
10-नोहर-हनुमानगढ़	03-राजकीय	प्रयोगशाला सहायक	01	13
11-श्रीदुंगरगढ़-बीकानेर	महाविद्यालय	प्रयोगशाला वाहक	01	13
12-सरदारशहर-चुरू	(स्त्रियों के लिए)	बुक लिफ्टर	01	13
13-सूरसागर-जोधपुर	राज्य निधि	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	26
		कुल योग	21	273

- (2) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग में 21 पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावे। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- (3) सोसाइटी के गठन होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
- (4) उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण के संबंध में आयुक्तालय विद्यमान स्कूल भवनों अथवा स्कूल भवनों में वांछित विस्तार किया जाकर महाविद्यालय संचालित करने की संभावनाओं की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार औचित्यपूर्ण राशि के प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102101957 दिनांक 21.05.2021 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (गुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/16)/आयो/आकाशि/2021-22/ 727

दिनांक: 14/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यालय राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर/मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर/महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर/राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर/गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों को बिना विलम्ब शुल्क संबद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
13. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करवाने की कार्यवाही करने का श्रम करें।
15. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
16. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

दीपाली गोगेव

संयुक्त निदेशक, आयोजना
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा